

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 23 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 994(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	सरकार के सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, तमिलनाडु सरकार।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, नगर और देशीय योजना, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई।	सदस्य
3.	डा. एम. रविन्द्रन, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई।	सदस्य
4.	एस. रामचन्द्रन, निदेशक, समुद्र प्रबंध संस्थान, चेन्नई।	सदस्य
5.	डा. एल. कानन, परियोजना निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन बाईलोजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	सदस्य
6.	प्रादेशिक निदेशक, केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, चेन्नई।	सदस्य
7.	सदस्य—सचिव तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड, चेन्नई-32।	सदस्य
8.	पर्यावरण निदेशक, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई।	सदस्य-सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्षालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा तमिलनाडु राज्य के तटीय क्षेत्रों में

पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और तदृशीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :
- परन्तु इस उप-पैरा के उपर्युक्त (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।
- (iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपर्युक्त (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।
- (iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उल्लंघन होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।
- III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे तमिलनाडु राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए खेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विस्तृता करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विस्तृता करेगा।
- VII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जौन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो तमिलनाडु के अनुमोदित तटीय जौन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित नियिया प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव